न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 37/2021

अपीलार्थीगण

(1) श्रीमति ओटीदेवी पुत्री पुनमाजी पत्नि भानाजी लोहार, जाति– लोहार, हाल निवासी– बरलुट, तहसील– सिरोही, जिला सिरोही (राज.)
(2) श्रीमति दारमीदेवी पुत्री पुनमाजी पत्नि देशारामजी लोहार, जाति–लोहार, हाल निवासी– वराडा, तहसील–सिरोही, जिला–सिरोही (राज.)
(3) श्रीमति सीतादेवी पुत्री पुनमाजी पत्नि डुंगारामजी लोहार, जाति–लोहार, हाल निवासी–वराडा, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) जमनालाल पुत्र पुनमाजी, जाति–लोहार, निवासी–वेलागंरी, तह. व जिला–सिरोही
(2) देवाराम पुत्र भीखाजी, जाति– लोहार, निवासी–वेलागंरी, तहसील व जिला–सिरोही
(3) सुन्दर पुत्री भीखाजी पत्नि रमेशजी लोहार, जाति–लोहार, हाल निवासी–गोल, तहसील–सिरोही, जिला– सिरोही (राज.)
(4) मगु पुत्री भीखाजी पत्नि रणछोडजी लोहार, जाति– लोहार, निवासी– सांतपुर, तहसील– आबूरोड, जिला– सिरोही (राज.)
(5) धरमी पुत्री भीखाजी पत्नि गोविन्दजी लोहार, जाति–लोहार, निवासी– गोल, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही (राज.)
(6) लक्ष्मी पुत्री भीखाजी पत्नि भावेशजी लोहार, जाति–लोहार, निवासी–गोल, तहसील–सिरोही, जिला– सिरोही (राज.)
(7) शान्ति पुत्री भीखाजी पत्नि देवारामजी लोहार, जाति–लोहार, निवासी–तखतगढ़, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली (राज.)
(8) उकी पत्नि भीखाजी लोहार, जाति– लोहार, निवासी– वेलागंरी, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही (राज.)
(9) गिरधारीलाल पुत्र समरथाजी लोहार, जाति–लोहार, निवासी–वेलागंरी, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही (राज.)
(10) सुशीला पुत्री समरथाजी पत्नि हंसारामजी लोहार, जाति –लोहार, निवासी– भीनमाल, तहसील– भीनमाल, जिला– जालोर (राज.)।
(11) विमला पुत्री समरथाजी पत्नि प्रतापजी लोहार, जाति–लोहार, निवासी– वराडा, तहसील– सिरोही, जिला सिरोही (राज.)
(12) डाई पुत्री समरथाजी पत्नि कमलेशजी लोहार, जाति–लोहार, निवासी–डोडुआ, तहसील–सिरोही, जिला– सिरोही (राज.)
(13) पिंकी पुत्री समरथाजी पत्नि हीरारामजी लोहार, जाति–लोहार, निवासी–मडीया, तहसील–सिरोही, जिला–सिरोही (राज.)
(14) पानीदेवी पत्नि समरथाजी लोहार, जाति–लोहार, निवासी–वेलागंरी, तहसील– सिरोही, जिला–सिरोही (राज.)।
(15) ईश्वर पुत्र दानाजी लोहार (माता कोकुदेवी पुत्री पुनमाजी पत्नि दानाजी लोहार), जाति– लोहार, निवासी– डबाणी, तहसील– रेवदर, जिला सिरोही (राज.)
(16) रमेश पुत्र दानाजी लोहार (माता कोकुदेवी पुत्री पुनमाजी पत्नि दानाजी लोहार), जाति– लोहार, निवासी– डबाणी, तहसील– रेवदर, जिला सिरोही (राज.)
(17) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही (राज.)

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अपीलार्थीगण की ओर से

(2) अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6, 8 से 11 व 14 की ओर से

(3) प्रत्यर्थी संख्या 17 की ओर से पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– **दिनांक 31 दिसम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम वेलांगरी, पटवार हल्का वेलांगरी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 17.6.1992 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन व नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या–2 से 6, 8 से 11 व 14 की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6, 8 से 11 व 14 की ओर से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 17 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई तिथि 10.8.2021 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 16 इस न्यायालय में उपस्थित हुये एवं उसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 व 16 उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् की नियत सुनवाई तिथि 24.7.2024 पर प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) के अधिवक्ता ने प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से पैरवी की कोई हिदायत नही (No Instruction) होना व्यक्त किया। जबकि प्रत्यर्थी 7, 12, 13 व 15 को सम्मन/नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री माथुर ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम वेलागंरी, पटवार हल्का वेलागंरी, भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कृष्णगंज, तहसील सिरोही, जिला सिरोही (राज.) के खाता संख्या 391 के खसरा संख्या 344 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, 345 रकबा 0.3600 हेक्टेयर, 346 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 347 रकबा 0.7100 हेक्टेयर, 348 रकबा 01.1100 हेक्टेयर, 349 रकबा 03.8900 हेक्टेयर, 350 रकबा 01.1900 हेक्टेयर, 351 रकबा 00.8200 हेक्टेयर, 352 रकबा 00.8800 हेक्टेयर, 353 रकबा 00.1000 हेक्टेयर व खसरा संख्या 354 रकबा 00.4000 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 11 कुल रकबा 09.5200 एवं खाता संख्या 397 के खसरा संख्या 651 रकबा 00.8400 हेक्टेयर, 652 रकबा 00.0400 हेक्टेयर, 653 रकबा 00.5400 हेक्टेयर, 654 रकबा 01.0200 हेक्टेयर, 655 रकबा 01.0200 हेक्टेयर, 656 रकबा 01.0300 हेक्टेयर, 657 रकबा 00.1100 हेक्टेयर, खसरा संख्या 660 रकबा 00.4100 हेक्टेयर व खसरा संख्या 661 रकबा 00.0400 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 9 कुल रकबा 05.0500 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त खाता संख्या 391 में वर्णित कृषि भूमि के खसरों के पुराने खसरा संख्या क्रमशः 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 व 127 है। इसी प्रकार, उपरोक्त खाता संख्या 397 में वर्णित कृषि भूमि के खसरों के पुराने खसरा संख्या क्रमशः 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233 व 234 है।

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उक्त वर्णित कृषि भूमि के पुराने और नये खसरा संख्या का मिलान क्षेत्रफल अपील के साथ में संलग्न प्रस्तुत किया गया है। यह कि उपरोक्त खाता संख्या 391 में वर्णित खसरों की कृषि भूमि में 1/5 एक बटे पांच हिस्से पर और खाता संख्या 397 में वर्णित खसरों की कृषि भूमि 1/20 एक बटे बीस हिस्से पर कब्जा काश्त और खातेदारी हक अधिकार अपीलार्थी संख्या 1 से 3 व प्रत्यर्थी संख्या संख्या 1 (एक) के पिता और प्रत्यर्थी संख्या 2 से 14 के दादा/ससुर स्वर्गीय पुनमाजी पुत्र पदमाजी लोहार का रहा है। इस प्रकार, स्वर्गीय पुनमाजी उक्त दोनों खातों में वर्णित कृषि भूमि में 1/5 व 1/20 के खातेदार कृषक रहे है, जिसका उल्लेख राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में किया हुआ है। पुनमाजी पुत्र पदमाजी लोहार के तीन पुत्र क्रमशः समस्थाजी, भीखाजी और जमनालालजी और चार पुत्रियां क्रमशः ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और कोकुदेवी हुई है। पुनमाजी का देहान्त यह अपील प्रस्तुत करने से करीब 30 तीस वर्ष पहले हो गया था। पुनमाजी की मृत्यु के पश्चात् उक्त दोनों खातों में वर्णित कृषि भूमियो मे उनके हक हिस्से की खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 17.6.1992 के जरिये उनके तीनो पुत्रों क्रमशः समरथा, भीखा और जमनालाल का नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि पुनमाजी के वारिसान में पुत्रों समरथा, भीखा और जमनालाल के अलावा उनकी चार पुत्रिया क्रमशः ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और कोकुदेवी है। अपीलार्थी संख्या 1 से 3 और प्रत्यर्थी संख्या 15 से 16 स्वर्गीय पुनमाजी के विधिक उत्तराधिकारी है जिससे पुनमाजी पुत्र पदमाजी लोहार के हक हिस्से की उक्त वर्णित कृषि भूमियों में उनके हक हिस्से की खातेदारी में इनके चारों विधिक उत्तराधिकारी क्रमशः ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और कोकुदेवी का भी बराबर बराबर हक हिस्सा होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार पुनमाजी के 7 सातो विधिक उत्तराधिकारियों क्रमशः समरथा, भीखा, जमनालाल, ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और कोकुदेवी का उक्त खाता संख्या 391 में वर्णित खसरों की कृषि भूमि मे प्रत्येक का समान रूप से 1/140 वां खातेदारी हक हिस्सा होता है, इसी प्रकार से खाता संख्या 397 में वर्णित खसरों की कृषि भूमि में प्रत्येक का समान रूप से 1/35 खातेदारी हक हिस्सा होता है, जिससे पटवारी हल्का, वेलागंरी को चाहिए था कि पुनमाजी की मृत्यु के पश्चात् उनके हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि में उनके स्थान पर उनके 7 सातो विधिक उत्तराधिकारीयो क्रमशः समरथा, भीखा, जमनालाल, ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और कोकुदेवी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार अंकित करते, लेकिन पटवारी हल्का, वेलागंरी ने उसके विपरित सातो विधिक उत्तराधिकारीयो का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं कर केवल उनके तीनों पुत्रों समरथा, भीखा, जमनालाल के नाम से विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 835 दायर किया गया, जिसें तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 17.6.1992 को स्वीकृत किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार पुनमाजी पुत्र पदमाजी लोहार की जायन्दा पुत्रियां है और प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 पुनमाजी की पुत्री कोकुदेवी (मृतक) के पुत्रगण है। प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) पुनमाजी का पुत्र है, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 पुनमाजी के पुत्र भीखाजी के वारीसान और प्रत्यर्थी संख्या 8 से 14 पुनमाजी के पुत्र समरथा के वारीसान है। यह कि पटवारी हल्का, वेलागंरी को उत्तराधिकार के मामले में मृतक पुनमाजी के सभी कानुनी वारीसानों के नाम से नामान्तरकरण दायर करना चाहिए था लेकिन पटवारी हल्का वेलागंरी ने ऐसा नही कर कानुनी त्रुटी की है। पटवारी हल्का, वेलागंरी ने पुनमाजी के कानुनी उत्तराधिकारीयो के सम्बन्ध में कोई जॉच नहीं की है। यह कि पुनमाजी की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक उत्तराधिकारीयों में तीन पुत्रों क्रमशः जमनालाल (रेस्पोडेन्ट सख्या 1 एक), भीखा (रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दो ता 7 सात के पिता व पति), समरथा (रस्पोडेन्ट संख्या 8 आठ ता 14 चौदह के पिता व पत्नि) के अलावा उनकी 4 चार पुत्रिया क्रमशः ओटीदेवी (अपीलेन्ट संख्या 1 एक)

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दारमीदेवी (अपीलेन्ट संख्या 2 दो), सीतादेवी (अपीलेन्ट संख्या 3 तीन), और कोकुदेवी (रेस्पोडेन्ट संख्या 15 और 16 की माता) भी है। पटवारी हल्का, वेलागंरी को चाहिए था कि नामान्तरकरण संख्या 835 दायर करते समय पुनमाजी के पुत्रों के साथ साथ उनकी चारों पुत्रियों क्रमशः ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और कोकुदेवी का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते, क्योंकि उनकी उक्त चारों पुत्रियां भी स्वर्गीय पुनमाजी के प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। अपीलार्थी संख्या 1 से 3 ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और प्रत्यर्थी संख्या 15 और 16 की माता कोकुदेवी मृतक पुनमाजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के बावजुद भी पटवारी हल्का, वेलागंरी ने प्रत्यर्थी जमनालाल, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पिता व पति भीखा और प्रत्यर्थी संख्या 8 से 14 के पिता व पति समस्था का नाम लापरवाही पूर्वक तरीके से नामान्तरकरण संख्या 835 दायर किया गया एवं तहसीलदार, सिरोही द्वारा भी मृतक खातेदार पूनमाजी पुत्र पदमाजी लोहार के विधिक वारिसानों की जांच व तस्दीक किये बिना ही दिनांक 17.6.1992 को नामान्तरकरण संख्या 835 को स्वीकृत किया गया है। यह कि पटवारी हल्का, वेलागंरी को यह भली भांती जानकारी थी कि मृतक पुनमाजी के प्रत्यर्थी जमनालाल और उनके भाई भीखा व समस्था के अलावा भी अन्य कानुनी उत्तराधिकारी है फिर भी पटवारी ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 835 दायर करने से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिए है जिससे अपीलार्थीगण के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का हनन हुआ है। पटवारी हल्का, वेलागंरी ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लिए बिना ही प्रत्यर्थी जमनालाल, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पिता व पति भीखा और प्रत्यर्थी 8 से 14 के पिता व पति समस्था के नाम से नामान्तरकरण दायर किया है जबकि पटवारी हल्का को चाहिए था कि पुनमाजी के पुत्रों के नाम से नामान्तरकरण दायर करने से पुर्व वे पुनमाजी के पुत्रों या अपीलार्थीगण से अथवा उनकी माता से जानकारी लेते अथवा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाते और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर विधि पूर्वक तरिके से नामान्तरकरण दायर करते परन्तु पटवारी हल्का, वेलागंरी ने अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 की माता कोकुदेवी को नजर अन्दाज करते हुए लापरवाही पूर्वक तरीके से प्रत्यर्थी जमनालाल, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पिता व पति भीखा और प्रत्यर्थी संख्या 8 से 14 के पिता व पति समस्था के नाम से नामान्तरकरण दायर किया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 की माता कोकुदेवी नामान्तकरण की प्रक्रियाओ से अनभिज्ञ थी जिससे अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 की माता कोकुदेवी इस विश्वास में रही की उनके पिता की मृत्यु के पश्चात् उनका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया है। यह कि दिनांक 15.06.2021 को अपीलार्थीगण पटवारी से जमाबन्दी की नकल लेने पहुंची तो पूछने पर अपीलार्थीगण को दिनांक 15.6.2021 को पहली बार जानकारी हुई कि उनका व प्रत्यर्थी संख्या 14 व 15 की माता का नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण के जरिए दर्ज नही हुआ है जिससे अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता के मार्फत तहसील कार्यालय, सिरोही से नामान्तरकरण की नकल दिनांक 23.6.2021 को प्राप्त की जिसे पढवाने पर अपीलार्थीगण को यह जानकारी हुई कि पुनमाजी पुत्र पदमाजी लोहार की मृत्यु होने के पश्चात् पुनमाजी के पुत्र प्रत्यर्थी जमनालाल, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 7 के पिता व पति भीखा और प्रत्यर्थी संख्या 8 से 14 के पिता व पति समस्था का नाम ही नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 17.06.1992 के जरिए अंकित हुआ है लेकिन पुनमाजी की पुत्रियों अपीलार्थी संख्या 1 एक ता 3 तीन ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और प्रत्यर्थी संख्या 15 और 16 की माता कोकुदेवी का नाम बदनियतिपूर्वक तरिके से राजस्व रेकर्ड में बतौर उत्तराधिकार अंकित नही हुआ है। यह कि अपीलार्थीगण अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश की महिलायें है जो न्यायालय की प्रक्रिया एवं विधिक जानकारी से अनभिज्ञ है।

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अपीलार्थीगण ने अपील पेश करने मे कोई गफलत व लापरवाही नही बरती है। दिनांक 17.6.1992 से दिनांक 15.6.2021 तक का समय अपीलार्थीगण के अज्ञानता व अनपढता व नामान्तरकरण संख्या 835 की जानकारी के अभाव में निकला है जो क्षमा योग्य है। अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश की सीधी साधी एंव अनपढ महीलाए है जिन्हें कानुन व समय सीमा की कोई जानकारी नही है जिससे दिनांक 15.6.2021 को जानकारी होते ही उक्त अपील तैयार करवाकर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थीगण की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRT 2004(2) Page 861, RRD 2001 Page 49, RRD 1994 Page 77, RRD 1995 Page 300 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि पिता की सम्पति में पुत्र की तरह ही मृतक की विधवा पत्नी व पुत्रियां भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 9 के तहत उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकार के मामलों में मियाद की अवधि जानकारी तिथि से लागू होती है। इस प्रकरण में नामान्तरकरण की कार्यवाही से पहले अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नही दिया, इसलिये उक्त नामान्तरकरण की पूर्व से जानकारी नही थी। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 17.6.1992 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे। साथ ही, अपीलार्थीगण की अपील को भी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम वेलांगरी, पटवार हल्का वेलांगरी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 17.6.1992 को निरस्त किया जावे एवं मृतक खातेदार पुनमाजी के सभी कानुनी उत्तराधिकारीयों के नाम विवादीत कृषि भूमि का नामान्तकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, सिरोही को आदेशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6, 8 से 11 व 14 के विद्वान अधिवक्ता श्री मरडिया ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण व राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही होने की अपीलार्थीगण को पहली बार दिनांक 15.06.2021 को जानकारी होना गलत है और अस्वीकार है। अपीलार्थीगण को पूनमा जी की मृत्यु के पश्चात् के भरे गए नामान्तरकरण के सम्बंध में पूर्ण जानकारी आरम्भ से रही है। अपीलार्थीगण ने अपील को अवधि मध्य लाने के लिए सर्वथा झूठे व असत्य कथन किए है। अपीलार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें जमाबन्दी की नकल की आवश्यकता क्यों हुई? अपीलार्थीगण तथा श्रीमती कोकू सभी विवाहित है। अपीलार्थीगण का विवाह करीब 45 से 50 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा स्वर्गीय कोकू देवी का विवाह करीब 58 वर्ष पूर्व हो चुका है। उक्त सभी अपने विवाह के पश्चात् अपने–अपने ससुराल निवास करती है। विवाह के पश्चात् उक्त सभी पूनमा जी के परिवार की व गृहस्थ की सदस्य नहीं रही है। अपीलार्थीगण तथा स्वर्गीय कोकू के विवाह पर पूनमा जी ने अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दहेज के रूप में घर–गृहस्थी का सामान, सोना–चांदी व नकद राशि प्रदान की है। अपीलार्थीगण का कोई अधिकार व कब्जा ही पूनमा जी की सम्पत्ति में नहीं रहा। प्रश्नगत भूमि पूनमाजी की स्वअर्जित सम्पति की तारीफ में थी। पूनमा जी की मृत्यु के पश्चात् पूनमा जी की अन्य अचल संपत्ति भी उनके पुत्रों को ही प्राप्त हुई है। पूनमा जी के जीवन काल में भी अपीलार्थीगण व कोकू देवी ने उक्त भूमि में खेती नहीं की और ना उनका कब्जा ही रहा है। अपीलार्थीगण एवं श्रीमती कोकू की पूर्ण व सघन जानकारी में गत 40 वर्षों से खुले व सतत् रूप से प्रत्यर्थीगण उक्त कृषि भूमि व अन्य अचल संपत्ति पर बतौर खातेदार व स्वामी काबिज है। अपीलार्थीगण ने पूनमा जी की मृत्यु के पश्चात् गत 40 वर्षों में कभी भी पूनमा जी की चल अचल संपत्ति में अपने किसी प्रकार के अधिकार होने का दावा नहीं किया है। अपीलार्थीगण व कोकु के

....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आचरण से ही साबित है कि उन्होंने उक्त संपत्ति में उनके कोई अधिकार थे तो भी त्यक्त कर प्रत्यर्थीगण में निहित कर चुकी है। प्रत्यर्थीगण ने उक्त सम्पत्ति को अन्य सभी को अपवर्जित करते पूनमा जी के जीवन काल में पूनमा जी के साथ व पूनमा जी की मृत्यु के पश्चात् बतौर अलहेदा स्वामी उक्त संपत्ति को निर्बाध व स्वतंत्र रूप से उपयोग किया है और कर रहे हैं। प्रत्यर्थीगण ने उक्त संपत्ति में बतौर स्वामी व खातेदार परिवर्तन व परिवर्धन किए हैं तथा पूनमाजी के खातेदारी की भूमि का विक्रय भी किया गया है। जिनकी कभी भी अपीलार्थीगण व कोकु देवी ने आपत्ति नहीं की है। अपने लंबे निर्बाध व खुले अपीलार्थीगण व श्रीमती कोकू को अपवर्जित करते कब्जे के कारण भी प्रश्नगत कृषि भूमि के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर एकमात्र खातेदार बन चुके है। अपीलार्थीगण व श्रीमती कोकू का उक्त कृषि भूमि में कोई अधिकार नहीं है, इसलिये नामान्तरकरण बदनियति पूर्वक होने का कथन ही अर्थहीन है। बदनियती अब अपीलार्थीगण को अवश्य उत्पन्न हो गई है जो अब 40 वर्ष पश्चात् कथित रूप से अपना अधिकार होने का दावा कर रही है। अपीलार्थीगण अनपढ महिलाएं होना, जो न्यायालय की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होना, अपीलार्थीगण ने अपील पेश करने में कोई गफलत व लापरवाही नहीं बरती होना व दिनांक 17.06.1992 से 15.06.2021 तक का समय अपीलार्थीगण के अज्ञानता व अनपढ़ता व नामांतकरण संख्या 835 की जानकारी के अभाव में निकला होने का कथन गलत है और अस्वीकार है। अपीलार्थीगण को नामातंरकरण की जानकारी आरम्भ से है। अपीलार्थीगण ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए व अपील को अवधी मध्य लाने के लिए गलत व बनावटी कथन किए है। अपीलार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया है कि पूनाजी की मृत्यु के बाद उनकी सम्पति में अपीलार्थीगण का किस प्रकार कब्जा रहा है। अपीलार्थीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि कृषि भूमि में किस वर्ष क्या खेती की गई और भूमि में क्या व्यय किया गया है। अपीलार्थीगण सभी समझदार है और गृहस्थी चला रही है। अपीलार्थीगण मानसिक रूप से मूढ़ अथवा कमजोर नहीं है कि उन्हें अपनी सम्पति के सम्बन्ध में तथा उसे प्राप्त करने के बारे में भी भाण न हो। पूनमाजी की मृत्यु के बाद गत 40 वर्षो में पारिवारिक आयोजनों में अपीलार्थीगण अनेकों बार सम्मिलित हुई है। पूनमाजी की अचल सम्पति में कृषि भूमि के अलावा उनके मकानात् भी है, जिनका भी विभाजन अपीलार्थीगण की पूर्ण जानकारी में पूनमाजी के तीनों पुत्रों के मध्य हो चुका है। अनपढ़ता का साम्पतिक अधिकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अनपढ व्यक्ति को भी अपने साम्पतिक अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी रहती है। अपीलार्थीगण मात्र अब बदनियतीपूर्वक प्रत्यर्थीगण से रकम ऐठने हेतु झुठे कथन कर रही है। अपीलार्थीगण ने अपनी उक्त लापरवाही को छिपाने के लिए तथ्यों की कुटरचना की है एव पूर्णतः मिथ्या कहानी अनपढ़ता व न्यायालय प्रक्रिया से अनभिज्ञता की बनाई है। अपीलार्थीगण अपील प्रस्तुति में हुई उक्त देरी को क्षमा कराने के किसी भी स्थिति में अधिकारी नहीं है। अपीलार्थीगण की लापरवाही से प्रत्यर्थीगण को प्राप्त अधिकार विधि में पुष्ट हो चुके है। अपील प्रस्तुति में 30 वर्ष की अस्वाभाविक देरी प्रथम दृष्ट्या ही अपीलार्थीगण की लापरवाही साबित करती है। अपीलार्थीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि अपील प्रस्तुति में कितने योम व वर्षों की देरी हुई है। अपीलार्थीगण देरी क्षमा कराने के अधिकारी नहीं है और न देरी क्षमा किए जाने हेतु कोई उचित, युक्तियुक्त व सद्भाविक तर्क संगत कारण ही दर्शाया है। अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुति में हुई देरी का उचित व संतोषजनक कारण नहीं बताया है एवं न देरी को माफ करने हेतु उचित व सद्भाविक स्पष्टीकरण दिया है। अपीलार्थीगण के पक्ष में कोई न्यायिक साम्यता नहीं है। अपीलार्थीगण की लापरवाही से प्रत्यर्थी को जो अधिकार उत्पन्न हुये है, उन्हें मिथ्या व आधारहीन कारणों के आधार पर हल्के रुप से समाप्त नही किया जा सकता है। यह कि उक्त कृषि भूमि के मौके पर प्रत्यर्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे

....पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है। उक्त भूमि के मौके पर अपीलार्थीगण या प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 की माता का कभी भी कब्जा–काश्त नही रहा है। नामान्तरकरण एक समरी व फिजकल प्रोसेडिंग है जिसके द्वारा अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। प्रत्यर्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त AIR 2016 PUNJAB AND HARYANA 192 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि हिन्दू कानून के अर्न्तगत सहदायिक सम्पति, वह सम्पति है जो तीन डिग्री अर्थात् पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र के माध्यम से विरासत में मिलती हैं, उपहार द्वारा प्राप्त सम्पति स्व अर्जित सम्पति होती हैं। विधिक दृष्टान्त 2008 DNJ (SC) 852 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि केवल सिविल न्यायालय के पास ही स्वामित्व, शीर्षक या विरासत के मूल अधिकारों को तय करने का क्षेत्राधिकार है। प्रत्यर्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि हिन्दू कानून के सिद्धान्त के अनुसार "पैतृक सम्पति" पैतृक पूर्व से विरासत में मिली सम्पति, किसी हिन्दू पुरुष को अपने पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता से विरासत में मिली सम्पति पैतृक सम्पति में आती है। मिताक्षरा कानून के अनुसार पैतृक सम्पति की आवश्यक विशेषता यह है कि जिस व्यक्ति को यह विरासत में मिलती है उसके बेटे पोते और परपोते जन्म से ही उसमें हित प्राप्त कर लेते है। यह कोई अपने पिता या पिता के पिता या पिता के पिता से कोई चल या अचल सम्पति विरासत में मिलती है तो वह उसके पुरुष वंशज के संबंध में पैतृक सम्पति है। यदि किसी व्यक्ति के उस समय कोई बेटा, बेटे का बेटा या बेटे के बेटों का बेटा मौजूद नही है, तब वह सम्पति ले सकता है और सम्पति का स्वामी माना जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार पूनमाजी पुत्र पदमाजी का स्वर्गवास वर्ष 2005 के पूर्व होने व नामान्तरकरण भी वर्ष 1992 में दर्ज व स्वीकृत होने से स्वर्गीय पूनमाजी की सम्पति में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 की माता कोकूदेवी को कानूनन कोई हक अधिकार पैदा नही होते है। विधिक दृष्टान्त Western Law Cases (Raj.) 1999(1) 486 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रत्यर्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत विलम्ब के प्रत्येक दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है, लेकिन अपीलार्थीगण ने यह अपील करीब 30 वर्ष के अन्तराल के बाद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के संबंध में कोई उचित, संतोषजनक ठोस कारण नही दर्शाया है तथा न ही दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण दिया है। प्रत्यर्थियों को भूमि के अधिकार उद्भूत हो जाने के कारण उन्हें समयातीत अपील के प्रति उच्छन्न कर देने का कोई कारण नही है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। साथ ही, अपीलार्थीगण की अपील भी मियाद बाहर होने से तथा सारहीन व साबित नही होने से खारिज की जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम वेलांगरी, पटवार हल्का वेलांगरी के खाता संख्या 391 खसरा संख्या 344 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, 345 रकबा 0.3600 हेक्टेयर, 346 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, 347 रकबा 0.7100 हेक्टेयर, 348 रकबा 01.1100 हेक्टेयर, 349 रकबा 03.8900 हेक्टेयर, 350 रकबा 01.1900 हेक्टेयर, 351 रकबा 00.8200 हेक्टेयर, 352 रकबा 00.8800 हेक्टेयर, 353 रकबा 00.1000 हेक्टेयर व खसरा संख्या 354 रकबा 00.4000 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 11 कुल रकबा 09.5200 हेक्टेयर कृषि भूमि, जिनके पुराने खसरा संख्या क्रमशः 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 व 127 है तथा खाता संख्या 397 खसरा संख्या

.....पेज आठ पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

651 रकबा 00.8400 हेक्टेयर, 652 रकबा 00.0400 हेक्टेयर, 653 रकबा 00.5400 हेक्टेयर, 654 रकबा 01.0200 हेक्टेयर, 655 रकबा 01.0200 हेक्टेयर, 656 रकबा 01.0300 हेक्टेयर, 657 रकबा 00.1100 हेक्टेयर, खसरा संख्या 660 रकबा 00.4100 हेक्टेयर व खसरा संख्या 661 रकबा 00.0400 हेक्टेयर कुल खसरा संख्या 9 कुल रकबा 05.0500 हेक्टेयर कृषि भूमि जिनके पुराने खसरा संख्या 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233 व 234 है के संयुक्त खातेदार पूनमा पुत्र पदमा जी लुहार की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, वेलांगरी द्वारा मृतक खातेदार पूनमा पुत्र पदमा जी लुहार के हक हिस्से की उक्त कृषि के सम्बन्ध में समस्था, भीखा, जमनालाल पिसरान पूनमा लुहार के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 835 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 17.6.1992 को स्वीकृत किया गया है।

तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 17.6.1992 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 25.6.2021 को अपील प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। जहां तक, यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है? अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया है। जिसमें यह अंकित किया है कि अपीलार्थीगण के पिता पूनमा पुत्र पदमा जी लुहार की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण के पिता पूनमा पुत्र पदमा जी के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि में अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने की अपीलार्थीगण को प्रथम बार जानकारी दिनांक 15.6.2021 को हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल लेने हेतु सम्पर्क करने पर हुई, तब अपीलार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थीगण की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है, इसलिये विलम्ब की अवधि क्षमा योग्य है। अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किये है। धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6, 8 से 11 व 14 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ है, परन्तु प्रत्यर्थी पक्ष ने अपने जवाब के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि मृतक खातेदार पूनमा पुत्र पदमा जी लुहार की मृत्यु के बाद राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थीगण का नाम दर्ज नही होने की अपीलार्थीगण को पूर्व से जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है तथा अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक है। मियाद की अवधि जानकारी की तारीख से प्रारम्भ होती है न कि आदेश की तारीख से। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा कराने हेतु प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए इस अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जा रहा है।

अपीलार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि "मृतक खातेदार पुनमाजी पुत्र पदमाजी लोहार के तीन पुत्र क्रमशः समस्थाजी, भीखाजी और जमनालालजी और चार पुत्रियां क्रमशः ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और कोकुदेवी है। पुनमाजी की मृत्यु के पश्चात् उक्त उक्त दोनों खातों में वर्णित कृषि भूमियो मे उनके हक हिस्से की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण संख्या 835 दिनांक 17.6.1992 के जरिये उनके तीनो पुत्रों क्रमशः समस्था, भीखा और जमनालाल का नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि पुनमाजी के वारिसान में पुत्रों समस्था, भीखा और जमनालाल के अलावा उनकी चार पुत्रियां क्रमशः ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और कोकुदेवी है। जिससे पुनमाजी पुत्र

.....पेज नौ पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पदमाजी लोहार के हक हिस्से की उक्त वर्णित कृषि भूमियों में उनके हक हिस्से की खातेदारी में इनके चारों विधिक उत्तराधिकारी क्रमशः ओटीदेवी, दारमीदेवी, सीतादेवी और कोकुदेवी का भी बराबर बराबर हक हिस्सा होता है।"

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मृतक खातेदार पूनमा पुत्र पदमा जी लुहार के विधिक वारिसान में उनके पुत्रों के अलावा उनकी पुत्रियां भी है एवं उक्त खातेदार पूनमा पुत्र पदमा जी लुहार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण मृतक खातेदार पूनमा के तीन पुत्रों भीखा, समरथा व जमनालाल के पक्ष में ही दायर होकर स्वीकृत हुआ है। जबकि मृतक खातेदार पूनमा पुत्र पदमा जी लुहार की मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसान में उनकी पुत्रियां भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा– 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 में विर्निदिष्ट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार हिन्दू खातेदार के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण भी अपने पिता मृतक खातेदार पूनमा पुत्र पदमा जी लुहार के हक हिस्से की कृषि भूमि में बराबर–बराबर हिस्सें में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 17.6.1992 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को उक्त मृतक खातेदार पूनमा पुत्र पदमा जी लुहार, निवासी– वेलांगरी के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच करके पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम वेलांगरी, पटवार हल्का वेलांगरी के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 17.6.1992 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार पूनमा पुत्र पदमा जी लुहार, निवासी– वेलांगरी के विधिक उत्तराधिरियों के संबंध में जांच करके इनके विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही